बनाम बाबूलाल वगैरा

(3)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2020/00113	

9-3-2022 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/~~प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं~~। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं~~/का ~~स्थानान्तरण हो गया है~~।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-3-2022
को पेश हो।

रीडर

23-3-2022 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं~~/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है~~।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-4-2022
को पेश हो।

रीडर

1-4-22 वकील उभयपक्ष उप० / तामील प्रतिवादी सं० 2,5,6
की जाकर पत्रावली दि० 8.4.22 को पेश हो।

8-4-2022 वकील वादी उप०। प्रतिवादी सं० 1,2,3,
5,6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः
इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।
वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 25-4-2022
को पेश हो।

25-4-2022 वकील वादी उप०। वकील वादिया ने वादिया
के बयान कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की। बहस
विद्वान वकील वादिया सुनी गई। वादिया का वाद
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
53/2020	18.8.2020	25.4.2022

सीमा पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पत्नी रमेश, रैगर हाल निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर —वादिया

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
2 देशराज पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
3 सुशीला पत्नी लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
4 उमा पुत्री लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
5 गीता पुत्री लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
6 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
7 प्रेमराज पुत्र धन्नाराम, रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, गंगापुर सिटी
8 उदय नारायण पुत्र रामजीलाल
9 केशरदेवी पत्नी किशनलाल
10 गोपी पुत्र खेमा
11 चुन्नीलाल पुत्र मूडया
12 जगदीश प्रसाद पुत्र बुद्दा
13 दामोदर प्रसाद पुत्र बुद्दा
14 नन्दकिशोर पुत्र बुद्दा
15 परभाती देवी पत्नी किशनलाल
16 मदनलाल पुत्र कजोडया
17 मन्नूलाल पुत्र बुद्दा
18 राधेश्याम पुत्र कजोडया

जातियान रैगर निवासीयान गंगापुर सिटी

19 दीपक पुत्र रामकुमार
20 शंकर पुत्र रामकुमार
21 सूरज पुत्र रामकुमार
22 ममता पुत्री रामकुमार
23 कान्ता पुत्री रामकुमार
24 अशोक पुत्र रामकुमार
25 मोनू पुत्र रामकुमार
26 रामसहाय पुत्र किशनलाल
27 ललित कुमार पुत्र रामजीलाल

जातियान रैगर निवासी गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

28 ललित कुमार पुत्र रामजीलाल
29 लाडादेवी पत्नी बुद्धा
30 वेदप्रकाश पुत्र कजोडया
31 संतरा पुत्री बुद्धा
32 सुरेश चन्द पुत्र बुद्धा

जातियान रैगर
निवासी रैगर मौहल्ला
गंगापुर सिटी

33 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
34 उपपंजीयक जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट वादिया की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि डाल खसरा नम्बर 779 रकबा 1.05 हेक्टर स्थित चूली वादिया के पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। वादिया के पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पुत्र धीसा का देहान्त हो चुका है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण के वारिस है। उपरोक्त वर्णित भूमि स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की खातेदारी की भूमि है। इस कारण उक्त भूमि पैतृक है जिससे वादिया का जन्म से हित निहित है उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की स्वअर्जित भूमि नही है तथा वादिया का भी उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के समान ही हिस्सा बनता है। तथा वादिया का उपरोक्त वर्णित भूमि मे 1/7 हिस्सा विधिक रूप से बनता है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का भी भूमि मे 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादिया से अकारण ही ईर्ष्या रखते है एवं वादिया को आये दिन परेशान करते रहते है। वे आये दिन वादिया को उसके एक बटा सात हिस्से में मजाहमत पैदा करते रहते है। दिनांक 5.7.2020 को जब वादिया अपने एक बटा सात हिस्से की सार संभाल कर रही थी तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादिया को धमकाते हुए कहा कि तुम चुपचाप भूमि खाली करो अबकी बार इस भूमि को हम काश्त करेगें इस पर वादिया ने मौके पर ही आपत्ति की व कहा कि यह भूमि मेरी पैतृक है जिसमें मेरे 1/7 हिस्से पर काश्त कर रही हूँ तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आवेशित हो गये व कहा कि कौनसा 1/7 हिस्सा हमने यह भूमि कबकि हमारे नाम करवाली है तथा हमने अपना हिस्सा 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 प्रेमराज को विक्रय भी कर दिया है या तो तुम चुपचाप यह भूमि खाली करो वरना हम तुमसे जबरन भूमि खाली करवायेगें व तुम्हे भूमि पर काश्त नही करने देगें। वादिया स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की जायंदा पुत्री है जिसका भी लक्ष्मीनारायण की सम्पत्ति मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के समान ही 1/7 हिस्सा वाजिब बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने राजस्व अभियान में नामान्तकरण संख्या 1618

...कलेक्टर
...र सिटी (स०मा०)

दिनांक 11.05.2018 के जरिये भूमि को स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया। उक्त नामान्तकरण राजस्व ग्राम अभियान चूली मे खोला गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने षडयंत्र करके व राजस्व अभियान में राजस्व कर्मचारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर व वादिया के बारे में पूरी जानकरी किये बिना उक्त नामान्तकरण गलत तरीके से व वादिया को उसके हिस्से से महरूम करने की नियत से तस्दीक करा दिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा तथ्यो को छुपाया गया है यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 राजस्व कर्मचारियों को लक्ष्मीनारायण के समस्त वारिसो की जानकारी देते तो वे निश्चय ही वादिया के नाम भी लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण तस्दीक होता तथा वादिया का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाता। लक्ष्मीनारायण का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा व 1/16 हिस्सा दर्ज रहा है। सैग्रीगेशन में जो हाल में जमाबंदी कायम की गई है उसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम नामान्तकरण 1/6—1/6 जरिये नामान्तकरण संख्या 1618 दिनांक 11.05.2018 को खोल दिया गया है किन्तु 1/16 हिस्सा जो कि लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज है का नामान्तकरण आज भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रेमराज को 1/24 हिस्सा बेच चुके है व उनका प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/24 हिस्सा अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 1/24 हिस्सा अभी भी लक्ष्मीनारायण को 1/16 हिस्से से बनता है तथा प्रतिवादी अपना हिस्सा बेच चुके है इस कारण वादिया को उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा वाजिब बनता है। उक्त भूमि वादिया की पैतृक भूमि है जिसमें वादिया का भी समान रूप से विधिक हिस्सा बनता है किन्तु वे वादिया को उसका हिस्सा नही देना चाहते है तथा वादिया को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते है। नामान्तकरण संख्या 1618 दिनांक 11.05.2018 दर्ज होने से पूर्व वादिया के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र घीस्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम चूली के खाता सं. 598 खसरा नम्बर 779 रकवा 1.05 हेक्टर में हिस्सा 1/4 एवं हिस्सा 1/16 दर्ज हो रहा है अर्थात कुल हिस्सा 5/16 बनता था जो दौराने सेग्रीगेशन एक होकर 5/16 किया जाना था। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जमाबन्दी मे बने अपने हिस्से को जरिये नामान्तकरण संख्या 1673 दिनांक 5.2.19 विक्रय कर जमीन को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भी भविष्य मे ऐसा कर जमीन को खुर्द बुर्द कर सकते है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज भूमि वादिया के पिता के दर्ज 1/6 एवं क्रेता प्रेमराज के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 को मिलाकर हिस्सा 5/16 भूमि बनती पैतृक भूमि में वादिया का हिस्सा 1/7 कायम किये जाने पर भी किसी हिस्सेदार के हिस्से पर कोई विपरीत असर नही पडता है। प्रतिवादी संख्या 8 ता 28 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

घोषित फरमाया जावे कि वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 संयुक्त रूप से भूमि हाल खसरा नम्बर 779 रकवा 1.05 हेक्टर ग्राम चूली के 1/7–1/7 काबिज खातेदार काश्तकार है व उसी अनुसार सरकारी कागजात व लैण्ड रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को स्थायी निषेशाघा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को भूमि हाल खसरा नम्बर 779 रकवा 1.05 हेक्टर स्थित ग्राम चूली के 1/7 हिस्से उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा ना तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर आदेशिका दिनांक 28.9.2021 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 ता 26 का नाम दावे से हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 595 ग्राम चूली प्रदर्श 1, नकल नामान्तकरण संख्या 1618 दिनांक 11.5.18 प्रदर्श 2, नकल नामान्तकरण संख्या 1673 दिनांक 28.1.19 प्रदर्श 3, नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.1.19 प्रदर्श 4, जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, मार्कशीट सीमा कुमारी वर्ष 2003 कक्षा अष्टम बोर्ड प्रदर्श 6 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादिया सीमा के कराये है।

बहस विद्वान वकील वादिया सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादिया का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 1618 दिनांक 11.5.18 के अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र घीस्या के नाम 1/4 हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तकरण उमा, गीता, देशराज, बाबूलाल, विनोद, सुशीला के नाम हिस्सा 1/24–1/24 खोला गया है। वादपत्र के अनुसार एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र व अंकतालिका के अनुसार वादिया लक्ष्मीनारायण की पुत्री है तद्नुसार विरासत के नामान्तकरण मे वादिया का नाम भी अंकित होना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार इसमे लक्ष्मीनारायण पुत्र घीस्या का 1/16 हिस्सा आज भी दर्ज है। जिसका विरासत का नामान्तकरण नही खोला गया है। लक्ष्मीनारायण के नाम पूर्व मे दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि एवं वर्तमान मे दर्ज 1/16 हिस्से की भूमि को मिलाकर 5/16 भूमि बनती है। इसमे वादिया का 1/7 बनता है। प्रस्तुत मामले मे प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 उनके नाम खुले नामान्तकरण संख्या 1618 दिनांक 11.5.18 मे उनके नाम आयी 1/24–1/24 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 प्रेमराज को बेंचान कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम 1/24–1/24 भूमि जमाबंदी मे दर्ज है। इसके अलावा लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज 1/16 हिस्से की भूमि की

...कलेक्टर
...गापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी ...

विरासत नही खोली गयी है। जिसमे वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 1/112 प्रत्येक का हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रस्तुत भूमि मे वादिया, प्रतिवादी संख्या 5, 6 प्रत्येक का 5/112 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/336 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार ये पक्षकारान अपने नाम भूमि दर्ज कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है तथा भूमि ख0न0 779 रकबा 1.05 है0 ग्राम चूली मे वादिया का 5/112 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/336–1/336 हिस्सा, प्रतिवादी 5 का वर्तमान मे दर्ज हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 5/112, प्रतिवादी संख्या 6 का वर्तमान मे दर्ज़ हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 5/112 का काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त ख0न0 मे दर्ज लक्ष्मीनारायण पुत्र घीस्या का इन्द्राज निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.4.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्‌दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत　　उप जिला कलेक्टर　　मुकाम　　गंगापुर सिटी

इजलास　　अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

सीमा पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पत्नी रमेश, रैगर हाल निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर　　——वादिया

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
2 देशराज पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
3 सुशीला पत्नी लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
4 उमा पुत्री लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
5 गीता पुत्री लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
6 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण, रैगर निवासी गंगापुर सिटी
7 प्रेमराज पुत्र धन्नाराम, रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, गंगापुर सिटी
8 उदय नारायण पुत्र रामजीलाल
9 केशरदेवी पत्नी किशनलाल
10 गोपी पुत्र खेमा
11 चुन्नीलाल पुत्र मूडया
12 जगदीश प्रसाद पुत्र बुद्वा
13 दामोदर प्रसाद पुत्र बुद्वा
14 नन्दकिशोर पुत्र बुद्वा
15 परभाती देवी पत्नी किशनलाल
16 मदनलाल पुत्र कजोडया
17 मन्नूलाल पुत्र बुद्वा
18 राधेश्याम पुत्र कजोडया

(8–18) जातियान रैगर निवासीयान गंगापुर सिटी

19 दीपक पुत्र रामकुमार
20 शंकर पुत्र रामकुमार
21 सूरज पुत्र रामकुमार
22 ममता पुत्री रामकुमार
23 कान्ता पुत्री रामकुमार
24 अशोक पुत्र रामकुमार
25 मोनू पुत्र रामकुमार
26 रामसहाय पुत्र किशनलाल

(19–26) जातियान रैगर निवासी गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (स०मा०)

(117)

27 ललित कुमार पुत्र रामजीलाल
28 ललित कुमार पुत्र रामजीलाल
29 लाडादेवी पत्नी बुद्धा
30 वेदप्रकाश पुत्र कजोडया
31 संतरा पुत्री बुद्धा
32 सुरेश चन्द पुत्र बुद्धा

जातियान रैगर
निवासी रैगर मौहल्ला
गंगापुर सिटी

33 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी
34 उपपंजीयक जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —53/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है तथा भूमि ख0न0 779 रकबा 1.05 है0 ग्राम चूली मे वादिया का 5/112 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/336–1/336 हिस्सा, प्रतिवादी 5 का वर्तमान मे दर्ज हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 5/112, प्रतिवादी संख्या 6 का वर्तमान मे दर्ज हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 5/112 का काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त ख0न0 मे दर्ज लक्ष्मीनारायण पुत्र घीस्या का इन्द्राज निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.4.2022 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		